>

Title: Need to permit operation of Petrol pump and LPG Agency by the largest shareholder in the event of death or departure of one of the shareholders.

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): देश में इस समय पेट्रोल पंपों व गैस एजेंसियों को चलाने वाले व्यक्तियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में पेट्रोल पंपों व गैस एजेंसियों को आवंटित करने के लिए जो गाइड लाइंस घोषित है उसके अनुसार यदि पेट्रोल पंप अथवा गैस एजेंसी के एक हिस्सेदार के अलग होने या मृत्यु होने पर अन्य हिस्सेदार जिनकी एजेंसी में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी होने के बाद भी वह पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी को नहीं चला सकता है। ऐसे पेट्रोल पंपों व गैस एजेंसियों का संचालन संबंधित ऑयल कंपनियां खुद ही करने लगती। इस वक्त करीब 1032 पेट्रोल पंपों को संबंधित ऑयल कंपनियां खुद ही चला रही है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का कारण है कि यदि किसी एक छोटे हिस्सेदार की मृत्यु होने पर मृतक के रिश्तेदार अथवा बाकी बचे हिस्सेदारों जिनकी पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी में हिस्सेदारी 5 से 10 प्रतिशत तक होती है, वे बड़े हिस्सेदारों (70 से 90 प्रतिशत) को एजेंसी चलाने में सहयोग नहीं देते है। ऐसे पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर (उ.प्र.) में भी है।

अतः भारत सरकार के पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय में मेरी मांग है कि वह अपनी गाइड लाइंस में परिवर्तन करे जिससे कि छोटे हिस्सेदारों के कारण बड़े हिस्सेदारों (70 या 90 प्रतिशत) को पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी चलाए जाने से वंचित न किया जाए एवं उन्हें पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी चलाए जाने का अधिकार दिया जाए।